कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों और सुरिंदर सिंह

गंडा सिंह, ... प्रार्थी;

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि, उत्तरदाताओं।

1972 की सिविल रिट संख्या 3521।

2 अगस्त, 1976

भारत का संविधान - अनुच्छेद 19* , 352 और 359 *(1)* - अनुच्छेद *19* के तहत अधिकारों के आपातकालीन प्रवर्तन के दौरान निलंबित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश - ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन *से जुड़ी लंबित कार्यवाही - क्या निलंबित और लंबित रखा जाए - ऐसी कार्यवाही में पारित अंतरिम आदेश - क्या संशोधित या खाली किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 के उप-खंड (1) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश में दो स्थितियों का प्रावधान है। सबसे पहले, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का प्रावधान उन मामलों में किया जाता है जहां उद्घोषणा जारी होने के बाद प्रवर्तन की मांग की जाती है और दूसरा यह लंबित कार्यवाही के निलंबन का प्रावधान करता है जिसके द्वारा ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन पहले से ही शुरू किया गया है। जहां तक राष्ट्रपति के आदेश के प्रथम भाग का संबंध है, ऐसे मामलों में जहां संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की गई है, उक्त अधिकार को निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है ताकि अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई कार्रवाई न की जा सके। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, ऐसे मामलों में जहां संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन कार्यवाही के माध्यम से शुरू किया गया है और ऐसी कार्यवाही राष्ट्रपति के आदेश के प्रवर्तन की तारीख को लंबित है, उक्त कार्यवाही को उस अवधि के लिए निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है जिसके दौरान संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के तहत किए गए आपातकाल की घोषणा लागू है। राष्ट्रपति के आदेश का मतलब यह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए पहले से ही शुरू की गई कार्यवाही, जिसे निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है, को खारिज कर दिया जाना चाहिए। 'निलंबित' शब्द का कानूनी बोलचाल में निश्चित अर्थ है और इसका

अर्थ है अस्थायी रूप से निष्क्रिय या निष्क्रिय, स्थगित रखा गया, अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया, यानी अस्थायी रूप से रोकना या पूरी तरह से समाप्त करना। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में लंबित कार्यवाही को राष्ट्रपति के आदेश की शर्तों के अनुसार निलंबित रहना होगा और उन्हें लंबित रखा जाना चाहिए और खारिज नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 6 and 9)

अभिनिर्धारित :

राष्ट्रपति के आदेश के दूसरे भाग का अर्थ यह नहीं है कि अदालतों के पास यह आकलन करने का अधिकार नहीं है कि पहले जारी किए गए अंतरिम आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए या बदल दिया जाना चाहिए। जब अदालत स्थगन आदेश को रद्द या संशोधित करती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 49 में उल्लिखित अधिकार को सक्रिय रूप से बरकरार नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त, यह उपरोक्त अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित किसी भी चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए, समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए अदालत के विवेक पर मूल रूप से जारी स्थगन आदेश को समायोजित करना या उठाना, राष्ट्रपति के आदेश के किसी भी पहलू का उल्लंघन नहीं करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरिम आदेश विवेकाधीन हैं और कानून द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दिए जाने पर अदालत की अंतर्निहित शक्ति से उपजी हैं। नतीजतन, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से लंबित कार्यवाही में अंतरिम आदेशों को समायोजित, संशोधित या निरस्त भी किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 19 के प्रवर्तन को निलंबित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी है।

(पैरा 10)

यह मामला शुरू में 21 नवंबर, 1972 को वकील के अनुरोध पर माननीय न्यायमूर्ति एमआर शर्मा के ध्यान में लाया गया था, जिसे बाद में निर्णय के लिए एक खंडपीठ को भेज दिया गया था। माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित और माननीय न्यायमूर्ति श्री भूपिंदर सिंह ढिल्लों की इस खंडपीठ ने 15 फरवरी, 1973 को एक बार फिर मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। इस रेफरल का उद्देश्य मामले में निहित एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को संबोधित करना था। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री ओ चिन्नप्पा रेड्डी, माननीय न्यायमूर्ति भूपिंदर सिंह ढिल्लों और माननीय न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह की पूर्ण पीठ अंततः 2 अगस्त, 1976 को एक निर्णय पर पहुंची।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उप्रेषण या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में रिट जारी करने की मांग की गई है। इस याचिका का उद्देश्य प्रतिवादी संख्या 2 (अनुबंध 'बी' के रूप में प्रदान किया गया) द्वारा जारी 14 सितंबर, 1972 के विवादित आदेश को रद्द करना है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने का अनुरोध किया है कि पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम 1972, 1972 की संख्या 19, भारत के संविधान का उल्लंघन है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के अंतिम समाधान तक 14 सितंबर, 1972 (अनुबंध 'बी') के चुनौती दिए गए आदेश के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आरएन नरूला।

श्री सी.डी.दीवान, महाधिवक्ता (हरियाणा) और श्री नौबत सिंह, ए.ए.जी. (हरियाणा) उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायमूर्ति बी.एस. ढिल्लों,–

(1) यह निर्देश 1972 की सिविल रिट याचिका संख्या 3264, 3265, 3521, 3791, 3848 और 3918 के साथ-साथ 1973 की सिविल रिट याचिका संख्या 352, 353 और 354 का निर्णय करेगा। इन सभी याचिकाओं में कानून के निम्नलिखित सामान्य प्रश्न को एक खंडपीठ द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया था -

> "क्या पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19) संवैधानिक रूप से इस हद तक अमान्य है कि यह गेहूं-थ्रेसर, डिस्क और पंपिंग सेट पर पूर्वव्यापी रूप से बिक्री कर लगाता है?"

इस तरह इन याचिकाओं को पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया है।

(2) बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील श्री आरएन नरूला ने बताया कि थ्रेसर और डिस्क की बिक्री के लिए कर लगाने वाले डीलरों के मामले में, हरियाणा सरकार ने 4 जून, 1974 को मेमो नंबर 2999-ईटी (5) -74 के माध्यम से आबकारी और कराधान अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इस ज्ञापन में निर्देश दिया गया है कि सरकार ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19) के पारित होने /प्रकाशन की तारीख 17 अक्टूबर, 1972 से पहले की अवधि के लिए बिक्री कर से छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन डीलरों पर लागू होती

है, जिन्होंने ग्राहकों को डिस्क और थ्रेसर की बिक्री पर बिक्री कर नहीं लगाया था, इन लेनदेन को बिक्री कर से मुक्त मानते हुए। वकील ने तर्क दिया कि, इस सरकारी फैसले के आधार पर, सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं (1972 के सिविल रिट याचिका संख्या 3848 में याचिकाकर्ता को छोड़कर) बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि थ्रेसर और डिस्क की बिक्री के लिए कर का सामना कर रहे इन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने ग्राहकों से बिक्री कर नहीं लिया था। इसलिए, वकील के अनुसार, इन सभी रिट याचिकाओं (1972 के सिविल रिट याचिका संख्या 3848 को छोड़कर) में पूर्ण पीठ को संदर्भित सामान्य कानूनी प्रश्न को अब निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि यदि अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि किसी डीलर ने ग्राहकों से बिक्री कर नहीं लिया है, तो थ्रेसर और डिस्क की बिक्री को 17 अक्टूबर, 1972 से पहले बिक्री कर से मुक्त माना जाता है, तो ऐसे डीलर पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाएगा।

(3) पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया कि जहां तक 1972 की सिविल रिट याचिका संख्या 3521 और 3264 और 1973 की सिविल रिट याचिका संख्या 352, 353 और 354 का संबंध है, कोई अन्य बिंदु निर्धारण के लिए नहीं बचता है और इसलिए, ये रिट याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं और इन्हें खारिज किया जा सकता है। हम लागत के रूप में बिना किसी आदेश के तदनुसार आदेश देते हैं।

(4) 1972 की सिविल रिट याचिका संख्या 3265, 3791 और 3918 के बारे में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि, पहले से ही पूर्ण पीठ को संदर्भित बिंदु के अलावा, जो पहले उल्लिखित राज्य सरकार के फैसले के प्रकाश में प्रासंगिक नहीं है, एक और मुद्दा है जिसके लिए इन याचिकाओं में निर्धारण की आवश्यकता है। यह अतिरिक्त बिंदु इस बात से संबंधित है कि क्या याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर कच्चे माल का अधिग्रहण किया और पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण किया (भले ही इन निर्मित वस्तुओं को कर से छूट दी गई थी), पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 5 (2) (ए) (ii) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि पंजीकरण प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग के आधार पर उन पर अतिरिक्त कर देयता का आरोप लगाया जा सकता है या नहीं। वकील का तर्क है कि पंजाब खांडसारी उद्योग बनाम राज्य (1972) 30 एसटीसी 414 मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसला इस बिंदु पर याचिकाकर्ताओं का समर्थन करता है। हालांकि, चूंकि पूर्ण पीठ के फैसले ने केवल एक विशिष्ट कानूनी प्रश्न को संबोधित किया है, न कि पूरे मामले को, यह पीठ इन तीन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्क के गुण-दोष की जांच नहीं कर

सकती है। इसलिए, इन तीन रिट याचिकाओं को गुण-दोष की गहन जांच के लिए खंडपीठ को वापस भेजा जाता है।

(5) 1972 की सिविल रिट याचिका संख्या 3848 के संबंध में, याचिकाकर्ता, जो इस उदाहरण में एक डीलर है, ने मोनोब्लॉक पंपिंग सेट का उत्पादन किया, और इन सेटों की बिक्री बिक्री कर के अधीन थी। थ्रेसर और डिस्क के निर्माताओं से बिक्री कर की वसूली न करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायत के विपरीत, यह रियायत मोनोब्लॉक पंपिंग सेटों की बिक्री तक नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए, इस रिट याचिका के संबंध में, विचार के लिए पूर्ण पीठ को भेजा गया कानूनी मुद्दा अभी भी निर्धारण के लिए बना हुआ है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 जनवरी, 1976 को निम्नलिखित शब्दों में एक उद्घोषणा जारी की -

> "संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) के तहत दिए गए अधिकार के आधार पर, राष्ट्रपति इसके द्वारा घोषणा करता है कि, जिस अवधि के दौरान 3 दिसंबर 1971 और 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के तहत घोषित आपातकाल की घोषणाएं एक साथ प्रभावी हैं, किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत से संपर्क करने का अधिकार है। संविधान, साथ ही उपरोक्त अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित किसी भी अदालत में चल रही सभी कार्यवाही को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।
>
> (2) यह आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगा।"

(6) हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता श्री सीडी दीवान ने हमारे समक्ष दलील दी है कि ऊपर उल्लिखित राष्ट्रपति के आदेश का अर्थ यह निकाला जाए कि संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन में शामिल लंबित कार्यवाही को खारिज कर दिया जाएगा और इसे लंबित नहीं रखा जाएगा। अपनी दलील के समर्थन में एडवोकेट-जनरल ने विजय कुमार और एक अन्य बनाम *बीके थापर और एक अन्य* ए.आई.आर. 1976 जम्मू और कश्मीर 51 मामले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया *है।* विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में, हमारी राय में, योग्यता का अभाव है। राष्ट्रपति का आदेश दो परिदृश्यों को चित्रित करता है: पहला, उन मामलों में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन जहां उद्घोषणा जारी होने के बाद इस तरह के प्रवर्तन की मांग की जाती है, और दूसरा, यह चल रही कार्यवाही के निलंबन को रेखांकित करता है जिसके माध्यम से ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति के आदेश के पहले पहलू के संबंध में, ऐसी स्थितियों में जहां संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत

अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की गई है, विचाराधीन अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे इसके प्रवर्तन के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरे पहलू के संबंध में, ऐसे उदाहरणों में जहां संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार का प्रवर्तन कार्यवाही के माध्यम से शुरू किया गया है, और ऐसी कार्यवाही राष्ट्रपति के आदेश के प्रवर्तन के समय लंबित हैं, इन कार्यवाहियों को 3 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के तहत किए गए आपातकाल की एक साथ घोषणा की अवधि के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है। 1971, या 25 जून, 1975 को। यह व्याख्या राष्ट्रपति आदेश की सादे भाषा से ली गई है। आदेश को इस तरह से मानना चुनौतीपूर्ण है जिसका अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए पहले से शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया जाए, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है। 'निलंबित' शब्द का एक विशिष्ट कानूनी अर्थ है, जो अस्थायी निष्क्रियता या निष्क्रियता को दर्शाता है, जिसे स्थगित कर दिया गया है, अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो पूर्ण बुझाने के विपरीत अस्थायी रोक या ठहराव का संकेत देता है। यह तर्क निराधार है कि सुझाए गए आदेश की व्याख्या करना इसके दो भागों के संबंध में 'निलंबित' शब्द को दो अलग-अलग अर्थ प्रदान करेगा। यदि कार्यवाही को खारिज कर दिया जाता है, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, तो 'निलंबित' शब्द को इसका अच्छी तरह से स्थापित कानूनी अर्थ नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण अंतर एक ऐसे अधिकार के निलंबन के बीच है जिसका प्रवर्तन शुरू नहीं किया गया है और उन मामलों में कार्यवाही का निलंबन जहां कानूनी कार्यवाही के माध्यम से अधिकारों का प्रवर्तन शुरू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 359 (1) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माखन सिंह तारसिक्का बनाम *पंजाब राज्य* ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 381 393 मामले में संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया था और निम्नानुसार कहा था कि -

> "राष्ट्रपति के आदेश के प्रभाव के परिणामस्वरूप आदेश के संचालन की अवधि के लिए आदेश की तारीख पर चल रही किसी भी कार्यवाही को निलंबित किया जा सकता है। आदेश के प्रभावी होने के बाद इन कार्यवाहियों को संभावित रूप से फिर से शुरू किया जा सकता है। हालांकि, एक नागरिक को आदेश जारी होने के बाद नई कार्यवाही शुरू करने से रोक दिया जाता है क्योंकि आदेश किसी भी अदालत से संपर्क करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। आदेश की वैधता के दौरान, आदेश के विपरीत नए सिरे से कार्यवाही शुरू करके इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि आदेश जारी होने के बाद अनुच्छेद 359 (1) और संबंधित राष्ट्रपति आदेश के दायरे में

आने वाली कोई नई कार्यवाही शुरू की जाती है, तो इसे अक्षम माना जाएगा और बर्खास्तगी के अधीन माना जाएगा। अनिवार्य रूप से, अनुच्छेद 359 (1) और राष्ट्रपति का आदेश कुछ महत्वपूर्ण शर्तों (जो यहां विचाराधीन नहीं हैं) के अधीन किसी भी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत या निरंतरता के खिलाफ एक प्रकार की रोक या व्यापक प्रतिबंध के रूप में काम कर सकता है।.....प्रतिबंध या तो उद्घोषणा की अवधि के लिए या ऐसी छोटी अवधि के लिए संचालित होता है जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

(7) माननिए न्यायमूर्ति द्वारा की गई टिप्पणियां उस व्याख्या का समर्थन करती हैं जिसे हमने राष्ट्रपति के आदेश पर लागू किया है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार को समाप्त नहीं किया गया है; बल्कि, केवल उस अधिकार को लागू करने के साधनों को राष्ट्रपति के आदेश के संचालन की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।

(8) जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले, जिसका उल्लेख हरियाणा के महाधिवक्ता ने किया था, में स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सकता है। उस विशेष मामले में, परिस्थितियों में प्रतिवादी को बेदखल करने के लिए वादी द्वारा शुरू किया गया एक सिविल मुकदमा शामिल था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जम्मू-कश्मीर हाउस एंड शॉप्स रेंट कंट्रोल एक्ट, 1966 की धारा 1 (3) (3) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। पूर्ण पीठ के समक्ष प्रश्न इस प्रकार था -

"अनुच्छेद 359 (1) के तहत जारी 27 जून, 1975 के राष्ट्रपति के आदेश का चल रही कानूनी कार्यवाही, विशेष रूप से मुकदमों, रिट याचिकाओं और अपीलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से या अन्य आधारों के साथ संयोजन में दावे या बचाव के आधार के रूप में आदेश में निर्दिष्ट किसी भी अनुच्छेद के आधार पर तर्क शामिल हैं?

(9) न्यायमूर्ति मियां जलाल-उद-दीन ने संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जारी 27 जून, 1975 के राष्ट्रपति के आदेश के प्रावधानों की जांच की, जो संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लगाता है। न्यायमूर्ति ने राष्ट्रपति के आदेश की व्याख्या करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ी चल रही कार्यवाही, चाहे वादी या बचाव पक्ष की ओर से, अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएगी। नतीजतन, उन्होंने पूर्ण पीठ को भेजे गए प्रश्न का उत्तर प्रदान किया। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति मुफ्ती ने राय व्यक्त की कि चल रही कार्यवाही जिसमें बचाव पक्ष

संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार का आह्वान करता है, जम्मू-कश्मीर हाउस एंड शॉप्स रेंट कंट्रोल एक्ट, 1966 की धारा 1 (3) (3) की संवैधानिकता के खिलाफ बचाव पक्ष की दलील पर विचार किए बिना जारी रहेगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार, इस तरह की याचिका को अक्षम के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार को राष्ट्रपति के आदेश के संचालन के दौरान लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरे माननिए न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति आनंद ने निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रपति के आदेश के दूसरे भाग में वाक्यांश जिसमें कहा गया है, "इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में लंबित सभी कार्यवाही निलंबित रहेगी," विशेष रूप से संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित है। यह उन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है जहां निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का विरोध किया जा रहा है, न ही यह उन मामलों को कवर करता है जहां निर्दिष्ट अधिकारों के प्रवर्तन के बिना केवल संविधान के निर्दिष्ट लेखों पर विचार शामिल है। न्यायमूर्ति आनंद मुख्य प्रस्ताव पर न्यायमूर्ति मियां जलाल-उद-दीन के साथ गठबंधन करते प्रतीत होते हैं, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन से जुड़ी अदालत में कार्यवाही चल रही है, तो इन कार्यवाही को आपातकाल की अवधि के दौरान निलंबित रहना चाहिए और राष्ट्रपति के आदेश की समाप्ति या निरसन के बाद इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायमूर्ति आनंद लंबित कार्यवाही से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश के दूसरे भाग की व्याख्या के संबंध में न्यायमूर्ति मुफ्ती से असहमत हैं। इस अंतर के बावजूद, विशिष्ट मामले के संदर्भ में, न्यायमूर्ति आनंद ने न्यायमूर्ति मुफ्ती से सहमति व्यक्त की कि लिखित बयान में उठाए गए बचाव पक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए जम्मू और कश्मीर हाउस एंड शॉप्स रेंट कंट्रोल एक्ट 1966 की धारा 1 (3) (iii) की असंवैधानिकता को खारिज कर दिया, जिससे मामले को आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। हालांकि, बहुमत का फैसला, जिसमें न्यायमूर्ति आनंद का विचार भी शामिल है, न्यायमूर्ति मुफ्ती की व्याख्या के अनुरूप नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि यह राष्ट्रपति के आदेश की भाषा और इरादे के विपरीत है. बहुमत की सुविचारित राय के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में लंबित कार्यवाही वास्तव में राष्ट्रपति के आदेश की शर्तों के अनुसार निलंबित रहनी चाहिए। इसलिए, 1972 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3848 को लंबित रखना होगा और इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

(10) हरियाणा के एडवोकेट-जनरल श्री सीडी दीवान द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि 1972 की सिविल रिट याचिका संख्या 3848 में इस न्यायालय द्वारा दी गई रोक को हटा दिया जाए। हमने इस बिंदु पर पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और हमारी राय है कि यह

एक उपयुक्त मामला है जहां इस न्यायालय द्वारा 7 दिसंबर, 1972 को दिए गए और 8 जनवरी, 1973 को पुष्टि किए गए स्थगन आदेश को हटा दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री आर. एन. नरूला द्वारा यह तर्क दिया गया था कि राष्ट्रपति के आदेश के दूसरे भाग के मद्देनजर, इस न्यायालय के पास स्थगन आदेश को हटाने का कोई अधिकारिता नहीं है क्योंकि याचिका लंबित रहेगी और पीठ द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने जगदीश अग्रवाल *बनाम* भारत संघ और अन्य ए.आई.आर. 1976 कलकत्ता 17 *के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया* है, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित गया था:

> "उपरोक्त उद्घोषणा के कारण, यह तर्क दिया गया कि, चूंकि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन मुद्दा था, इसलिए कार्यवाही को निलंबित कर दिया जाना चाहिए, जिससे अंतरिम आदेश को जारी रखना आवश्यक हो जाए। यह स्थिति कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस मामले में, एक मौजूदा अंतरिम आदेश था, और परिणामस्वरूप, अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक आपातकाल रहता है या जब तक उद्घोषणा रद्द नहीं की जाती है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि प्रश्न की एक जांच, जो आयोजित की जा सकती थी क्योंकि मामला सुनवाई के लिए तैयार है, ने नोटिस के तहत कार्यवाही की वैधता का खुलासा किया हो सकता है। यह परिस्थिति एक दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य पैदा करती है जहां अनुच्छेद 14 से जुड़े मामले प्रभावित होते हैं, और जबकि अनुच्छेद 14 को लागू करने वाले नए आवेदन या मामले चल रहे आपातकाल के दौरान संभव नहीं हैं, 27 जून, 1975 से पहले निषेधाज्ञा के नियम या आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति उन आदेशों से लाभान्वित होते रहेंगे, अदालतों को उन आदेशों की वैधता या उपयुक्तता का आकलन करने का अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि अनुच्छेद 14 के तहत प्रश्न इनमें शामिल हैं। अनुप्रयोगों। माखन सिंह तारसिक्का बनाम पंजाब राज्य(उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें पार्टियों को उपरोक्त उद्घोषणा को रद्द करने के बाद सुनवाई का अनुरोध करने की स्वतंत्रता होती है।"

माननिए न्यायमूर्ति की राय का सम्मान करते हुए, हम राष्ट्रपति के आदेश के दूसरे भाग की व्याख्या करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इसका अर्थ है कि न्यायालयों के पास यह आकलन करने का अधिकारिता नहीं है कि पहले से जारी स्थगन आदेश को रद्द किया जाना चाहिए या

संशोधित किया जाना चाहिए। जब न्यायालय स्थगन आदेश को खाली या संशोधित करता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार को सक्रिय रूप से लागू नहीं कर रहा है, और यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार के प्रवर्तन के लिए चल रही कार्यवाही के किसी भी पहलू में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए, स्थगन आदेश को हटाकर या संशोधित करके, जो मूल रूप से न्यायालय द्वारा अपने विवेक पर जारी किया गया था, समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय राष्ट्रपति के आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अंतरिम आदेश विवेकाधीन होते हैं और न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों से उपजी होती हैं, खासकर जब क़ानून द्वारा कोई विशिष्ट शक्ति नहीं दी जाती है। 1972 की सिविल रिट याचिका संख्या 3848 से यह स्पष्ट है कि, संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, याचिका में कई अन्य कानूनी बिंदु उठाए गए हैं।. वास्तव में, यह सही है कि इस याचिका को स्थगित रखा जाना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 को लागू करने के अधिकार का आह्वान अन्य अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि, यदि इस विशेष अधिकार को लागू करने की खोज को माफ कर दिया जाता है, तो याचिका को निर्णायक रूप से संबोधित किया जा सकता है, और विवाद के शेष आधारों पर निर्णय लिया जा सकता है। जब शुरू में स्थगन आदेश दिया गया था, तो उस समय की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि पीठ के पास राष्ट्रपति के आदेश के दूसरे भाग के प्रावधानों को देखते हुए स्थगन आदेश को बदलने या रद्द करने का अधिकार नहीं है। स्थगन आदेश जारी करना, संशोधित करना या निरस्त करना न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों से उपजी एक विवेकाधीन राहत है। नतीजतन, हमारा दृढ़ विचार है कि अदालतें हमेशा चल रही कार्यवाही में स्थगन आदेश को संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार रखती हैं। यह एक अलग मामला है कि, किसी विशिष्ट मामले के विवरण के आधार पर, न्यायालय अपने पिछले आदेशों को संशोधित न करके विवेक का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है।

(11) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आते हुए, हम पाते हैं कि स्थगन आदेश 7 दिसंबर, 1972 को दिया गया था, जिसे बाद में 8 जनवरी, 1973 को पुष्टि की गई थी और अभी भी लागू है। स्थगन आदेश को आगे जारी रखना न्याय के हित में नहीं दिखता है। याचिकाकर्ता, यदि वह सफल होता है, तो वह उसके द्वारा भुगतान की गई सभी राशि को पुनर्प्राप्त करने का हकदार होगा और उसे कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी। वह पहले ही तीन साल से अधिक समय के लिए स्थगन आदेश का लाभ उठा चुके हैं। मामले के इस दृष्टिकोण

में, हम स्थगन आदेश को हटाते हैं और निर्देश देते हैं कि यह कानून के अनुसार याचिकाकर्ता से वसूली को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगा।

ओ चिन्नप्पा रेड्डी,

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति

सुरिंदर सिंह,

न्यायमूर्ति

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा